छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा नवम् सत्र अंक-16

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 मार्च, 2012

(चैत्र-9, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 11 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 05 (क्र-1844) पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष ने लोक निर्माण मंत्री को निर्देशित करते हुए व्यवस्था दी कि - आय व्ययक में जिस कार्य हेतु स्वीकृति सभा में दी गई हो, पश्चात् उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए । मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि कृपया इसे देखें तथा विधानसभा में जो स्वीकृत कार्य हैं, उनमें कोई परिवर्तन न हो, ऐसी आगे व्यवस्था सुनिश्चित करें।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 16 तारांकित एवं 34 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री रविन्द्र चौबे, भजन सिंह निरंकारी, धर्मजीत सिंह, सदस्य ने जिला-दुर्ग, विकासखंड-धमधा, ग्राम-मलपुरीखुर्द में कृषि भूमि पर सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु नियम विरूद्ध अनुमति दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने जिला-जांजगीर-चांपा के बलौदा विकासखंड में आरसिथ एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड द्वारा कृषि भूमि में बिना अनुमति के विदेशी घास लगाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

3. नियम 267 क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267 (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री सौरभ सिंह
(2) श्री परेश बागबाहरा
(3) श्री मोहम्मद अकबर
(4) श्री दूजराम बौद्ध
(5) श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर
(6) श्री रामपुकार सिंह
(7) श्री गुरु रुद्र कुमार
(8) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
(9) श्री अमरजीत भगत
(10) श्रीमती सुमीत्रा मारकोले

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री अजीत जोगी, सभापति ने लोक लेखा समिति का अठासीवां, नवासीवां, नब्बेवां, इक्यानबेबां, बानबेवां, तिरानबेवां, चौरानबेवां, पंचानबेवां, छियानबेवां एवं संतानबेवा, एवं

(2) श्री बैदूराम कश्यप, सभापति ने पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का चतुर्थ,

प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती अंबिका मरकाम

(2) श्रीमती रजनी रविशंकर त्रिपाठी

(3) श्री शिवराज सिंह उसारे

6. वर्ष 2012-2013 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

(1) माननीय मुख्यमंत्री के विभागों की अनुदान मांगों की पुनर्ग्रहित चर्चा में श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री राजू सिंह ठाकुर, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, रविन्द्र चौबे।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2012 (क्रमांक 3 सन् 2012)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2012 (क्रमांक 3 सन् 2012) पुरःस्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2012 (क्रमांक 4 सन् 2012)

डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2012 (क्रमांक 4 सन् 2012) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
डॉ.हरिदास भारद्वाज,

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

डॉ.सुभाऊ कश्यप, सर्वश्री अग्नि चंद्राकर, भीमा मंडावी, फूलचंद सिंह, नंदकुमार पटेल।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने ।
खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2012 (क्रमांक 4 सन् 2012) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

सायं 4.49 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनाँक 30 मार्च, 2012 (चैत्र 10, शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा